शोध मंथन Vol. XIV No.III June-Sep. 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 का अल्पसंख्यक वर्ग के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव

प्राप्तिः 07.09.2023
स्वीकृतः 15.09.2023

61

डॉ० संजीव कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
शिक्षा विभाग, हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद
महात्मा ज्योतिबाफूले वि0 वि0, बरेली (उ0प्र0)
ईमेलः *sanjeev.sanjeev.rana1@gmail.com*

प्रो० विजय जायसवाल
संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
ईमेलः Jayvijaycnb@gmail.com

सारांश

यह शोध उत्तर प्रदेश के मेरठ मण्डल के हापुड़ एवं बागपत जनपद में अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम का प्रभाव ज्ञात करने हेतु किया गया है। यह शोध अध्ययन सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। प्रस्तुत शोध में न्यादर्श हेतु हापुड़ व बागपत जनपद के 12 उच्च प्राथमिक विद्यालय शहरी क्षेत्र से और 12 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन ग्रामीण क्षेत्र से किया गया है। इन सभी 24 विद्यालयों के वर्ष 2015 से 2019 तक के अल्पसंख्यक वर्ग के केवल मुस्लिम वर्ग के सभी विद्यार्थियों को अन्तिम न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया है। प्रदत्तों का संकलन विद्यालयी अभिलेखों के माध्यम से किया गया है। शोध निष्कर्ष में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में निम्न पायी गई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के शैक्षिक गुणवत्ता से सम्बन्धित प्रावधानों का मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हुआ है।

मुख्य बिन्दू

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009, अल्पसंख्यक वर्ग, शैक्षिक उपलब्धि, शहरी–ग्रामीण, उच्च प्राथमिक विद्यालय।

प्रस्तावना

शिक्षा वास्तविक अर्थ में ज्ञान एवं प्रकाश की अंतहीन यात्रा है जो मानव विकास के नये रास्ते खोजती है। यह मनुष्य को सम्पूर्ण श्रेष्ठ तथा राष्ट्र व विश्व के लिए उपयोगी व्यक्ति बनाती है। शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के उत्थान व विकास में एक साथ उपयोगी भूमिका का निर्वहन करती है। यह न केवल व्यक्ति के नैतिक विकास मे सहायक होती है वरन् हमारी भौतिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए भी उतनी ही अपरिहार्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्राथमिक शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण एवं निर्णायक होती है, यह शिक्षा के अग्रिम सोपानों की नींव को मजबूत बनाने में सबसे अधिक योगदान देती है। इसलिए राष्ट्र विकास में प्राथमिक शिक्षा को सर्वोपरि माना गया है। शिक्षा की इस महत्त्ता को समझते हुए पिछले 70 वर्षों से भारतीय सरकार सार्वभौमिक

शिक्षा एवं इसकी गुणवत्ता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सदैव प्रतिबद्ध रही है। इसी की परिणीति के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के रूप में अस्तित्व में आया था।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009

शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय प्राथमिक शिक्षा में बड़े बदलाव का संवाहक माना जाता है। इस अधिनियम की महत्त्ता इसी से समझी जा सकती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 के पश्चात् यह अधिनियम प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक परिवर्तकारी प्रयास था। प्राथमिक विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के विकास में यह अधिनियम सहायक सिद्ध हुआ है। परन्तु इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में शैक्षिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किये गये हैं परन्तु यह निश्चित नहीं है कि इन प्रावधानों के परिणाम स्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में कितना सुधार हुआ है।

अध्ययन का औचित्य

मुस्लिम समुदाय देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है, परन्तु अन्य अल्पसंख्यक वर्गों यथा सिख, जैन, बौद्ध, ईसाइ एवं पारसी समुदाय की तुलना में यह वर्ग शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। 2011 के जनसांख्यिकी आँकड़ों के अनुसार सिख 75.4 प्रतिशत, ईसाई 84.5 प्रतिशत, जैन 94.5 प्रतिशत एवं राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.4 प्रतिशत के सापेक्ष मुस्लिम वर्ग की साक्षरता दर मात्र 68. 5 प्रतिशत थी। मुस्लिम वर्ग की केवल निम्न साक्षरता दर ही चिंता का विषय नहीं है अपितु इस वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में शोधार्थी द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन किया गया है।

शोध अभिकथन

''शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 का अपसंख्यक वर्ग के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव।''

शोध उद्देश्य

1. हापुड़ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. बागपत जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. समस्या का परिसीमन– यह अध्ययन मेरठ के हापुड़ व बागपत जनपद के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ही परिसीमित है। इस अध्ययन में अल्पसंख्यक वर्ग से केवल मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों को ही सम्मिलित किया गया है।

शोध विधि

इस शोध की प्रकृति मात्रात्मक शोध की है, जिसमें सर्वेक्षण विधि के अन्तर्गत अभिलेख विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श एवं न्यादर्शन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श की इकाई के रूप में हापुड़ जनपद से शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत हापुड़ नगर विकास खण्ड और ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत गढ़मुक्तेश्वर विकास खण्ड से 6–6 (कुल 12) उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं इसी आधार पर बागपत जनपद से शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत बड़ौत नगर विकास खण्ड और ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत पिलाना विकास खण्ड से 6–6 (कुल 12) उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन न्यादर्शन की सौद्देश्यपूर्ण विधि (Purposive Sanpling Method) द्वारा किया गया। इन सभी विद्यालयों के वर्ष 2015 से 2019 तक के सभी मुस्लिम विद्यार्थियों का अन्तिम न्यादर्श के रूप में चयन किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शिक्षा का अधिकार अधिनियनम–2009 की धारा 24 एवं 29 विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि से सम्बन्धित है। अतः शोधार्थी द्वारा कक्षा 6, 7 व 8 के वर्ष 2015 से 2019 तक के मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों के केवल हिन्दी एवं गणित विषय के वार्षिक परीक्षाफल से प्राप्तांकों का विवरण ज्ञात करके उनको पाँच ग्रेड A, B. C, E में परिवर्तित किया। पाँच ग्रेड में यह परिवर्तन प्राथमिक विद्यालयों में 'मिशन प्रेरणा' में प्रयोग किये जा रहे ग्रेड प्रणाली के आधार पर किया गया है। इन ग्रेड के आधार पर ही विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की गई है। ग्रेड परिवर्तन का आधार निम्नवत् है–

1. A ग्रेड 91 से 100 प्रतिशत प्राप्तांक (उच्चतम उपलब्धि)
2. B ग्रेड 76 से 90 प्रतिशत प्राप्तांक (उच्च उपलब्धि)
3. C ग्रेड 56 से 75 प्रतिशत प्राप्तांक (औसत उपलब्धि)
4. D ग्रेड 40 से 55 प्रतिशत प्राप्तांक (निम्न उपलब्धि)
5. E ग्रेड 40 प्रतिशत से कम प्राप्तांक (निम्नतम उपलब्धि)

उद्देश्य 1 – हापुड़ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव का अध्ययन करना।

सारणी–1 हापुड़ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की वर्ष 2015 से 2019 तक हिन्दी एवं गणित विषय की औसत शैक्षिक उपलब्धि का कक्षावार विवरण (प्रतिशत में)

	कक्षा–6 ग्रेड					कक्षा–7 ग्रेड					कक्षा–8 ग्रेड				
क्षेत्र व विषय	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
शहरी क्षेत्र हिन्दी विषय	3.2	12.8	27.8	47.8	8.4	3.8	9.4	28	49.2	8.6	3.4	11	28	49.8	7.8
शहरी क्षेत्र गणित विषय	5.6	7	23	48	10	5.2	11.4	30	45.2	8.2	3.2	11.4	24.8	51.6	9
ग्रामीण क्षेत्र हिन्दी विषय	3.2	9.6	24.8	56	6.4	4.4	11.2	27.8	48	8.6	3.4	12	27.4	49.4	7.8
गामीण क्षेत्र गणित विषय	2.8	9.4	23	53.8	11	2.8	9	27.4	51.6	9.2	4.4	7.8	23	55.4	9.4

उपरोक्त सारणी–1 से ज्ञात हो रहा है कि हापुड़ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की स्थिति खराब है। तीनों कक्षाओं की वर्ष 2015 से 2019 औसत शैक्षिक उपलब्धि के निष्कर्ष इस प्रकार हैं–

- हापुड़ जनपद के शहरी क्षेत्र में हिन्दी विषय में 50 से 66 प्रतिशत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न व निम्नतम (D एवं E ग्रेड) रही है। वहीं मात्र 11 से 19 प्रतिशत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्चतम व उच्च (A एवं B ग्रेड) रही है।
- हापुड़ जनपद के शहरी क्षेत्र में गणित विषय में 51 से 64 प्रतिशत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न व निम्नतम (D एवं E ग्रेड) रही है। जबकि 12 से 21 प्रतिशत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्चतम व उच्च (A एवं B ग्रेड) रही है।
- हापुड़ जनपद ग्रामीण क्षेत्र में हिन्दी विषय में निम्न एवं निम्नतम शैक्षिक उपलब्धि (D एवं E ग्रेड) प्राप्त करने वाले विधार्थी कम से कम 55 एवं अधिकतम 66 प्रतिशत रहे हैं। जबकि उच्च व उच्चतम शैक्षिक उपलब्धि (A एवं B ग्रेड) प्राप्त करने वाले विद्यार्थी न्यूनतम 10 प्रतिशत व अधिकतम 18 प्रतिशत रहे हैं।
- हापुड़ जनपद ग्रामीण क्षेत्र गणित विषय में निम्न एवं निम्नतम शैक्षिक उपलब्धि (D एवं E ग्रेड) प्राप्त करने वाले विद्यार्थी न्यूनतम 59 प्रतिशत एवं अधिकतम 68 प्रतिशत रहे हैं। वहीं उच्च व उच्च शैक्षिक उपलब्धि (A एवं B ग्रेड) प्राप्त करने वाले विद्यार्थी न्यूनतम 9 व अधिकतम 16 प्रतिशत रहे हैं।

स्पष्ट है कि हापुड़ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हिन्दी एवं गणित विषय में सभी कक्षाओं में आधे से अधिक विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न व निम्नतम रही है।

उद्देश्य 2– बागपत जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन करना।

सारणी–2 बागपत जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की वर्श 2015 से 2019 तक हिन्दी एवं गणित विशय की औसत शैक्षिक उपलब्धि का कक्षावार विवरण (प्रतिशत में)

	कक्षा–6 ग्रेड					कक्षा–7 ग्रेड					कक्षा–8 ग्रेड				
क्षेत्र व विषय	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
शहरी क्षेत्र हेन्दी विषय	3.4	10.6	28.8	47.4	9.8	4.2	9.6	30.2	46.4	9.6	2.8	10	25.6	55.2	6.4
शहरी क्षेत्र गणित विषय	4.8	13.8	30.2	43	8.2	5.8	12.6	33.6	39.8	8.2	4.8	12.6	29.6	45.8	7.2
ग्रामीण क्षेत्र हेन्दी विषय	3.6	11	27	50.6	7.8	4.8	11	27.4	49	7.8	3.4	10.6	24.2	54.4	7
गामीण क्षेत्र णित विषय	2.4	9	27.4	50.8	10.4	3.4	9.8	28.4	50.4	9.8	3	9.4	27.8	51.6	8.2

उपरोक्त सारणी–2 से यह स्पष्ट हो रहा है कि बागपत जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की स्थिति अच्छी नहीं है। तीनों कक्षाओं की वर्ष 2015 से 2019 तक औसत शैक्षिक उपलब्धि के निष्कर्ष इस प्रकार हैं–

उपरोक्त सारणी 2 के अवलोकन से यह ज्ञात हो रहा है कि हापुड़ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के मुस्लिम वर्ग के कक्षा 6, 7 व 8 के विद्यार्थियों की हिन्दी एवं गणित विषय की उपलब्धि में निम्न एवं निम्नतम ग्रेड D व E अधिक प्राप्त किये गये हैं।

- बागपत़ जनपद के शहरी क्षेत्र में हिन्दी विषय में 53 से 64 प्रतिशत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न व निम्नतम (D एवं E ग्रेड) रही है। वहीं मात्र 9 से 96 प्रतिशत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्चतम व उच्च (A एवं B ग्रेड) रही है।
- बागपत जनपद के शहरी क्षेत्र में गणित विषय में 44 से 56 प्रतिशत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न व निम्नतम (D एवं E ग्रेड) रही है। जबकि 14 से 21 प्रतिशत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्चतम व उच्च (A एवं B ग्रेड) रही है।
- बागपत जनपद ग्रामीण क्षेत्र में हिन्दी विषय में निम्न एवं निम्नतम शैक्षिक उपलब्धि (D एवं E ग्रेड) प्राप्त करने वाले विधार्थी कम से कम 52 एवं अधिकतम 65 प्रतिशत रहे हैं। जबकि उच्च व उच्चतम शैक्षिक उपलब्धि (A एवं B ग्रेड) प्राप्त करने वाले विद्यार्थी न्यून्त 14 प्रतिशत व अधिकतम 21 प्रतिशत रहे हैं।
- बागपत़ जनपद ग्रामीण क्षेत्र गणित विषय में निम्न एवं निम्नतम शैक्षिक उपलब्धि (D एवं E ग्रेड) प्राप्त करने वाले विद्यार्थी न्यूनतम 41 प्रतिशत एवं अधिकतम 66 प्रतिशत रहे हैं। वहीं उच्चतम व उच्च शैक्षिक उपलब्धि (A एवं B ग्रेड) प्राप्त करने वाले विद्यार्थी न्यूनतम 9 व अधिकतम 15 प्रतिशत रहे हैं।

स्पष्ट है कि बागपत जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हिन्दी एवं गणित विषय में सभी कक्षाओं में आधे से अधिक विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न व निम्नतम रही है।

अध्ययन के निष्कर्ष

हापुड़ व बागपत जनपद के शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के कक्षा 6, 7 एवं 8 के मुस्लिम वर्ग के विद्यार्थियों की हिन्दी व गणित विषय की शैक्षिक उपलब्धि की स्थिति निम्न एवं निम्नतम श्रेणी की अधिक पायी गई है। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु किये गये प्रावधानों का इस वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता पर साकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया है। अधिनियम की धारा 24 एवं 29 जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता से सम्बन्धित है का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप कक्षा के कुल विद्यार्थियों में से आधे से अधिक विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि निराशाजनक रही है। यह स्थिति दोनों ही जनपदों के हिन्दी एवं गणित विषय में समान रही है। अतः शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि एवं सुधार हेतु कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1. ब्रहमा, जी०. (2015). *ऐलीमेन्ट्री एजुकेशन डवलपमेंट ऑफ रिलिजियस मॉइनारिटी चाइल्ड इन मोण्डिया ब्लॉक ऑफ बरपेटा डिस्ट्रिक्ट आसाम इण्डिया, इंटरनेशनल जर्नल*

ऑफ इंटरडिस्पिलिनरी रिसर्च इन सांइस सोसायटी एण्ड कल्चर, वाल्यूम : 6 इश्यू–2, दिसम्बर।

2. परीक, बी०पी०. (2015). *मुस्लिम एजुकेशन इन इण्डिया,* डाइलोगो 2.1 पृष्ठ **94–99.** कान्फ्रेंस एण्ड जर्नल, *रिसर्च गेट.* (www. dialogo-conf.com).
3. राजू, वी०पी०एस०. (2016). *हरियाणा के मेवात जिले में प्राथमिक स्तर पर अनामांकन और मुस्लिम बच्चों के विद्यालय छोड़ने के कारण. परिप्रेक्ष्य.* वर्ष 23. अंक 30. दिसम्बर।
4. अंसारी, पी०एस०, मजीद, ए०. (2016). *ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल विजन ऑफ मुस्लिम इन इण्डियाः प्राब्लम्स एण्ड प्रोस्पेक्टस, कान्फ्रेंस पेपर. अक्टूबर. रिसर्च गेट.* (https://www. researchgate.net/publication/309826362).
5. सिंह, पी०, भंडारी, एम०. (2017). *लिट्रेसी लेवल ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन उत्तर प्रदेश, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च आइडिया एण्ड इन्नोवेशन इन टेक्नोलॉजी,* वाल्यूमः 3. इश्यू 3.
6. अहमद, एम०. (2018). *एक्सिस ऑफ मुस्लिम टू एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश, इडिया, जर्नल ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी अफेयर्स.* वाल्यूमः 38.4.
7. सेनगुप्ता, आर०, रोज, डी०. (2018). *फेक्टर अफेक्टिंग जेंडर डिस्पेरिटी इन मुस्लिम इन इण्डिया, जर्नल ऑफ डवलेपमेंट पॉलिसी एण्ड प्रेक्टिस.* 3(1) जनवरी।
8. मुल्ला, के०., बेरा, एस०. (2018). *स्टेटस ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इन इण्डियाः प्राब्लम्स एण्ड कंसर्न. अरहन्त मल्टीडिस्पिलिनरी इंटरनेशनल एजुकेशन रिसर्च जर्नल.* वाल्यूम : 8. इश्यू–1. दिसम्बर–जनवरी।